व्यक्तिगत ध्यानार्थ

संख्याः– Kalyan-Solan(ICDS)-F(10)-02/05-
कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी,
सोलन जिला सोलन ।

सेवा में

1. समस्त कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन, जिला सोलन हि०प्र०।
2. समस्त पंचायत सचिव, सोलन जिला सोलन हि०प्र०

दिनांक सोलन। 22 सितम्बर, 2012

विषयः-- विवाह पंजीकरण के अन्तर्गत बाल विवाह को पंजीकरण न करने बारे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर दिनांक 11–09–2012 को उपायुक्त सोलन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बाल विवाह प्रतिरोधक अधिनियम की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के सन्दर्भ में आपको लिखा जाता है कि विवाह पंजीकरण करते समय आप युवक एवं युवती की आयु का विशेष ध्यान रखें व अगर बाल विवाह विशेषकर 18 वर्ष से कम आयु की युवती के विवाह पंजीकरण का मामला आपके ध्यान में आता है तो उसे तुरन्त नजदीक के पुलिस या बाल विकास परियोजना अधिकारी जो कि बाल विवाह प्रतिरोधक अधिकारी भी है, को सूचित करने की कृपा करें

इसी प्रकार विवाह पंजीकरण के जो मामले एक साल या उसके बाद के आते हैं उन मामलों में पंजीकरण से पहले उचित जांच की जाए कि कहीं विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और युवती की आयु 18 वर्ष से कम तो नहीं थी। हि०प्र० विवाह पंजीकरण अधिनियम 1996 के अन्तर्गत आपको विवाह रजिस्टार घोषित किया गया है।

भवदीय,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
सोलन जिला सोलन हि०प्र०